व्यापार में नवाचार : अवसर एवं चुनौतियाँ

Innovation in Business : Opportunities and Challenges

डॉ. (श्रीमती) अंजू शुक्ला

व्यापार में नवाचार : अवसर एवं चुनौतियाँ

Innovation in Business : Opportunities and Challenges

संरक्षक

श्री अनुराग शुक्ला

संपादक

डॉ. (श्रीमती) अंजू शुक्ला

संकल्प प्रकाशन

कानपुर (उ.प्र.)

इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक या इसके किसी भी अंश का किसी भी माध्यम से अथवा ज्ञान के संग्रहण एवं पुनर्प्रयोग की प्रणाली द्वारा, किसी भी रूप में, पुनरुत्पादित अथवा संचारित-प्रसारित नहीं किया जा सकता, इसे संक्षिप्त, परिवर्धित कर प्रकाशित करना कानूनी अपराध है।

ISBN : 978-81-951646-2-2

प्रथम संस्करण 2021

© संपादकाधीन

पुस्तक	:	व्यापार में नवाचार : अवसर एवं चुनौतियाँ
संपादक	:	डॉ. (श्रीमती) अंजू शुक्ला
प्रकाशक	:	**संकल्प प्रकाशन** 1569/14 नई बस्ती बक्तौरीपुरवा, बृहस्पति मन्दिर, नौबस्ता, कानपुर-208 021 दूरभाष : 094555-89663, 070077-49872 Email : sankalpprakashankanpur@gmail.com
वितरक	:	**समता प्रकाशन** 159/1 वार्ड नं. 12, बजरंगनगर, **रूरा,** कानपुर-देहात दूरभाष : 9450139012, 9936565601 Email : samataprakashanrura@gmail.com
मूल्य	:	₹ 795.00
शब्द-सज्जा	:	रुद्र ग्राफिक्स, हनुमन्त विहार, नौबस्ता, कानपुर-21
आवरण	:	गौरव शुक्ल, कानपुर-21
मुद्रण	:	आर्यन डिजिटल प्रिंटर्स, दिल्ली

14. भारत में कृषि व्यापार : भूमिका तथा महत्त्व
डॉ. शशि गुप्ता
15. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जैव–प्रौद्योगिकी का योगदान : कृषि विकास के संदर्भ में 93
डॉ. तुकाराम वैद्यनाथ चाटे
16. भारतीय व्यापार के समक्ष चुनौतियां : अर्थव्यवस्था का संकट 99
डॉ. (सुश्री) भावना कमाने
17. कैशलेस भारत : जी.एस.टी. तकनीक 105
डॉ. शेख़ शहेनाज़ अहेमद
18. भारत में बेरोजगार युवाओं का आक्रोश : स्वचालन जनित बेरोजगारी 111
डॉ. हरिणी रानी आगर, डॉ. एम.आर. आगर
19. Contribution of Information Revolution in The Context of New Indian Business 119
Dr. Jayanta Roy
20. A Case Study on Effect of Effect of E-commerce on India's Business 126
Yogesh Dhruw
21. Driving Innovations Through Business Intelligence 139
Dr. Amit Manglani, Ms. Disha Rani Yadav, Mr. Suraj Patel
22. Impact of Information Revolution On Business : An Analysis 149
Dr. V. K. Sharma, Shraddha Das
23. Innovation in business - Ease of doing business 161
Dr. Chandra Bhusan Prasad
24. An Overview of Indian Telecom Sector 168
Bijoy Karmakar, Dr. Smt Preeti Shukla
25. Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy of Chhattisgarh 173
Dr. Indu Santosh
26. Factors Affecting The Buying Behaviours of Indian House Wife's in Context To Super Markets 182
Smt. Sumela Chatterjee, Vaishali Agrahari
27. E-Commerce A Boon For Developing Economy in India 191
Dr. Vanita Kumari Soni, Dr. Anamika Tiwari
28. Effect of E-Commerce on Customers / Consumers 208
P. Kalpana
29. Consumer Perception on 'Online Food Ordering' 215
Nishtha Verma
30. Contribution of Business Innovation on Indian Economy 230
A. Sri Ram
31. A Study Innovation on Micro Enterprise Managed by Woman Entrepreneure A Scenerio in District Bilaspur of Chhattisgarh 241
Sarita Pandey, Dr. Priyank Mishra, Ashutosh Pandey 252

17.
कैशलेस भारत : जी. एस. टी. तकनीक

डॉ. शेख़ शहेनाज़ अहेमद

वर्तमान में समस्त विश्व तकनीक के नये युग में सूत्रपात कर चुका है। यदि सारी दुनिया तकनीक की मदद से कैशलेस समाज की तरफ बढ़ रही है, तो अकारण नही बढ़ रही है। यह नई दुनिया की वह अधुनातन व्यवस्था है, जिसके अनेक लाभ हैं। यही कारण है कि भारत भी इस व्यवस्था की ओर उन्मुख हुआ है। इस लाभकारी व्यवस्था को अपनाने के लिए पहलें भी शुरू हो गई है। सरकारी पहलों के साथ–साथ हमें भी अपना चोला बदलने के लिए तैयार रहना होगा। यानी भुगतान की पुरानी आदतों को बदलना होगा और नई आदतें डालनी होगीं। उम्मीद कर सकते हैं कि कैशलेस समाज के जरिए हम एक पारदर्शी व्यवस्था से जुड़ कर लाभान्वित तो होंगे ही, दुनिया के साथ कदमताल भी कर सकेंगे। नकदी रहित भारत(बैसमे प्दकपं) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की नकदी पर निर्भरता को कम करना है। भारत में इस मिशन की शरुआत तब हुई जब भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी पहल करते हुए 8 नवंबर 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया और इसी के फलस्वरूप भारत में नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा मिला।

विदित हो कि जब किसी अर्थव्यवस्था में धन का लेन–देन उस अर्थव्यवस्था में प्रचलित सिक्कों या बैंक नोट के बजाय क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, ई–बैंकिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा किया जाता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को नकदी रहित अर्थव्यवस्था (Cash-less Economy) की संज्ञा दी जाती है।

"जब किसी अर्थव्यवस्था में धन का लेन–देन उस अर्थव्यवस्था में प्रचलित सिक्कों या बैंक नोट के बजाय क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, ई–बैंकिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा किया जाता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को नकदी रहित अर्थव्यवस्था (Cash-less Economy) की संज्ञा दी जाती है।"

भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था की अवधारणा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो भारत को एक ऐसे समाज में बदलने पर केंद्रित है जिसमें भारतीय समाज डिजिटल रूप में सक्षम हो और पूरी तरह से नकद लेन–देन से मुक्त हो। इसके तहत भारत सरकार ने नकदी रहित लेन–देन को

सुगम बनाने के लिए कई सशक्त माध्यम विकसित किए हैं। साथ ही प्रचलित माध्यमों को बढ़ावा दिया है। इन माध्यमों में बैंकिंग कार्ड (डेबिट क्रेडिट कार्ड), यूएसएसडी (USSD : Unstructured Supplsmentary Service एइपीएस (AEPS : Aadhar Enabled Payment System), यूपीआई (UPI : Payment Interface), मोबाइल वॉलेट्स एवं एप्लीकेशन (पेटीएम, भीम, आदि), बैंकों के पी–पेड कार्डर्स, पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट बैंकिंग, माइक्रो एटीएम आदि शामिल हैं।

नकदी रहित प्रणाली से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाल सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं–

- व्यापारिक लेन–देन अधिक स्वच्छ और पारदर्शी होगा।
- इससे कराधान का आधार बढ़ेगा, कर चोरी कम होगी और अधिक से अधिक लोग आयकर के दायरे में आ जाएंगे।
- बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित कराना आसान होगा।
- ई–पेमेंट के जरिए होने वाले लेन–देन पर आयकर विभाग की निगरानी रहती है, इससे कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
- लेन–देन में आसानी होगी और समय की बड़ी बचत होगी।
- जाली नोट और खोट सिक्कों पर नियंत्रण होगा।
- विदेशी निवेश के लिए माहौल सुधरेगा और सुशासन स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- वर्ष 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने करेंसी जारी करने और उसके प्रबंधन पर 27 अरब रुपये खर्च किए हैं, नकदी रहित प्रणाली से यह लागत बचाई जा सकेगी।

"कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने नोटबंदी के बाद से ही कई बड़े कदम उठाए हैं। मोबाइल से भुगतान करने के मामले में पेटीएम (Paytm) भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है।"

कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने नोटबंदी के बाद से ही कई कदम उठाए हैं। मोबाइल से भुगतान करने के मामले में पेटीएम भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है। विमुद्रीकरण की घोषणा के 7 दिन के भीतर ही पेटीएम ने 2.5 करोड़ से अधिक का लेन–देन पंजीकृत किया। अब तक पेटीएक से लेन–देन में 700 प्रतिशत से अधिक का इजाफा हुआ है।

स्मार्ट फोन के लिहाज से चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा बाजार है। वर्ष2017–18 में देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर लगभग45 करोड़ हो गई है और 2022 तक इसके 70 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

देश में पिछले दो सालों के भीतर 25.68 करोड़ जनधन खाते खोले गए। देश में 65 करोड खाताधारकों के पास डेबिट कार्ड और 2.5 करोड़ के पास क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बल मिलना अवश्यंभावी है।

भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था की प्रमुख बाधाएं

इंटरनेट की उपलब्धता एवं वित्तीय साक्षरता : कैशलेस प्रणाली पूरी तरह ई–कॉमर्स पर आधारित है जबकि भारत में केवल 30.7 फीसदी (40 करोड़) आबादी ही इंटरनेट का प्रयोग करती है, जो कि इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराना और वित्तीय साक्षरता बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है।

स्मार्ट फोन की कमी : देश में केवल 36 फीसदी लोगों के पास स्मार्ट फोन हैं जो कि एक मुख्य अवरोध है।

मोबाइल इंटरनेट की धीमी गति : भारत में पेज लोड होने का औसत समय 5.5 सेकेंड है जबकि चीन में 2.6 सेंकेंड, श्रीलंका और बांग्लादेश में क्रमशः 4.5 और 4.9 सेकेंड है। दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट इजरायल में 1.3 सेंकेंड है।

पीओएस मशीनों की कमी : देश के प्रति 10 लाख की आबादी पर मात्र 856 पीझेएस मशीनें हैं।

साइबर सुरक्षा : नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। जनवरी, 2017 में कथित तौर पर भारतीय स्टेट बैंक के 32 लाख डेविट और क्रेडिट कार्ड चोरी होने का मामला सामने आया था। वर्तमान में रैनसमवेयर जैसे अपराध तेजी से बढ़े ही चिंताजनक हैं। नोटबंदी के बाद देश का कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने कई बडे कदम उठाए हैं। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट की घोषणा की थी साथ ही 'नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' को लकी ड्रॉ निकालने की सिफारिश की। इसके तहत सबसे पहले पेट्रोल–डीजल की खरीद, बीमा प्रीमियम, हाइवे टोल और सीजनल रेल टिकट में छूट की घोषणा की गई।

"जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, वह देश एवं समाज, ज्ञान व तकनीक में भी उन्नत होता है।"

नीति आयोग ने डिजिटल भुगतान कदने वालों के लिए साप्ताहिक गासिक या त्रैमासिक लकी ड्रॉ निकालने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर दो तरह के पुरस्कारों की घोषणा की गई। उपभोक्ताओं के लिए 'लकी ग्राहक योजना' और व्यापारियों के लिए ' डिजीधन व्यापारी योजना' शुरू की गई तथा इसके लिए सरकार ने 340 करोड़ रुपये का बजट आवंछित किया

था। ये योजनाएं 25 दिसंबर, 2016 से 14 अप्रैल,2017 तक चली। डिजिटल भुगतान करने वाले देश के लाखों लोगों को वित्तीय लाभ हुआ।

कहते है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, वह देश समाज, ज्ञान व तकनीक में भी उन्नत होता है। यह बात नार्डिक देशों डेनमार्क, आइसलैंड एवं स्वीडन के संदर्भ में सटीक प्रतीत होती है। स्वीडिश मुद्रा कोन का प्रचलन केवल 3 प्रतिशत रह गया है जबकि लेन–देन डिजिटल माध्यमों के द्वारा किया जा रहा है। 2020 तक देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नकद विहीन करने का रखा है। इसके अलावा ब्रिटेन, फांस, कनाडा और बेल्जियम का डिजिटल पेमेंट 90 प्रतिशत से अधिक है।

कैशलेस इंडिया हेतु उठाये गये कदम

भीम : भीम एक मोबाइल भुगतान एप है जो यूपीआइ पर आधारित है। इस एप का शुभारंभ 30 दिसंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी द्वारा दिल्ली के तालकटोरा स्टेकडयम में आयोजित डिजिधन मेला के दौरान किया गया।

तेज : यह सर्च इंजन गूगल के यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान सेवा एप है जिसका शुभारंभ 18 सितंबर, 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटनी द्वारा किया गया। यह एप एंड्रॉयड और आइओएस चालित स्मार्ट फोन पर काम करता है।

ई–वॉलेट : ई–वॉलेट या मोबाइल वॉलेट यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली है। भारत में पेटीएम के अतिरिक्त मोबीक्विक, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी, एक्सिस बैंक लाइम, साइट्स पे, इट्सकैश, ऑक्सीजन वॉलेट, आईसीआईसीआई पॉकेट्स, स्टेट बैंक बड़ी, पेयू मनी, जियो मनी, वोडाफोन एम पेसा, एचडीएफसी चिल्लर आदि हैं।

यूपीआई 2.0 : 16 अगस्त, 2018 को यूपीआई का अपग्रेडेड संस्करण यूपीआई 2.0 का शूभारंभ किया गया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशिन ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यह संस्करण शुरू किया है। यूपीआई 2.0 के जरिए ग्राहक ओवर ड्रॉफ्ट अकाउंट को लिंक, वन टाइम मैनेडेट, इनबॉक्स में वॉयस सुविधा आदि सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

आज यदि सारी दुनिया तकनीक की मदद से कैशलेस समाज की तरफ बढ़ रही है। तो अकारण नहीं बढ़ रहीं है। यह नई दुनिया की वह अद्युनातन व्यवस्था है। जिसके अनेक लाभ हैं। यही कारण है। कि भारत भी इस व्यवस्था भी इस व्यवस्था की ओर उन्मुख हुआ है। इस लाभ कारी व्यवस्था को अपनाने के लिए पहलें भी शुरू हो गई हैं। सरकारी पहलों के साथ–साथ हमें भी अपना चोला वदलने के लिए तैयार रहना होगा। यानी भुगतान की पुरानी आदतें

बदलना होगा और नई आदतें डालनी होंगी। उम्मीद कर सकते हैं कि कैशलेस समाज के जरिए हम एक पारदर्शी व्यवस्था से जुड़ कर आधुनिक ताक होंगे ही, दुनिया के साथ कदमताल भी कर सकेंगे।

एक राष्ट्र – एक बाजार – एक कर : जी.एस.टी

देश में दुसरा मुद्दा जी.एस.टी का है यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि व्यापार की सुगमता बढ़ी है। देश में जीएसटी के प्रभावी होने से अब अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में एकल स्तरीय कर प्रणाली अस्तित्व में आ चुकी है, जिससे 'एक राष्ट्र–एक बाजार–एक कर' की अवधारणा को तो बल मिला ही है, कर वसूली में पारदर्शिता आने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। पूर्व की तूलना में अब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तूओं और सेवाओं का लेन–देन सुगम हूआ है। टैक्स पर टैक्स की व्यवस्था खत्म होने से जहां आम आदमी को राहत मिली है, वहीं वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता देखने को मिल रहीं है। इससे जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में एकरूपता देखने को मिल रहीं है। वहीं कानूनों प्रक्रियाओं और कर दरों में भी एकरूपता आई है।

जीएसटी के प्रभावी होने से कारोबारी सुगमता भी बढ़ी है। इसने देशभर में व्यापार प्रक्रिया को कर की दृष्टि से तटस्था बनाया है। इससे व्यापार संचालन की प्रच्छन्न लागत में कमी आई है, फलतः व्यापार और उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार हुआ है। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा क्षमता मं वृद्धि हुई है। वहीं भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन मिला है। जीएसटी के अंतर्गत विनिर्माता से उपभोक्ता तक केवल ऐक ही कर होने से अंतिम उपभोक्ता तक अदा किए गए करों में पारदर्शिता आई है। क्षमता में वृद्धि और रिसाव की रोकथाम होने से अधिकांश वस्तुओं पर कर का बोझ हल्का हुआ है, जो कि उपभेक्ता के लिए लाभकारी स्थिति है।

"जीएसटी, अनौपचारिक क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका कनभा रहा है और हम एक राष्ट्रीय बाजार को विकसित कर रहे हैं। आज के सुधारों का नतीजा हमें आने वाले समय में मिलेगा और हम अच्च विकास दर हासिल करेंगें।"

जीएसटी के कारण 'एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर' की अवधारणा साकार होने से राष्ट्र उत्थान की 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों को बल मिला है। जब एकीकृत एक समान राष्ट्रीय बाजार का सृजन होता है, तब विदेशी निवेश भी बढ़ाता है। और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ होती है। विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने से रोजगार के अवसर सृजिन होते हैं, जिससे वेरोजगारी और गरीवी जैसी समस्याओं से उभरने का मौका मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है भारत में जीएसटी को प्रभावी बनाया जाना अब तक का सवसे बड़ा 'कर सुधार' है। जब कोई बड़ा सुधार किया जाता है, तो सुरुआत

में कुछ तात्कालिक व्यवधान और विचलन भी आते हैं इन तात्कालिक व्यवधान
और विचलनों का दिखना स्वाभाविक भी होता है, क्योंकि बनी बनाई
व्यवस्थित संरचना बदलती है। इससे संरचनात्मक समस्याएं बेशक पैदा हो
हैं, किंतु इनके आधार पर किए गए सुधार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा
समता, क्योकि संरचनात्मक समस्याएं समय के साथा ठीक भी हो जाती हैं
संरचनात्मक समस्याओं को लेकर जीएसटी का जा विरोध सामने आया, वह
जायज नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हमारी आर्थिक सेहत को
अच्छा बनाने के लिए उठाया गया एक सुचिंतित कदम है।

जीएसटी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पतनोन्मुख नहीं होने
बल्कि यह छलागं लगाने को तैयार है। इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम
सामने आएंगे। शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं। यह अकारण नहीं है कि
वैश्विक वित सेवा प्रदाता कंपनी 'एचएसबीसी' द्वारा हाल ही मे जारी की गई
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आगामी 10 वर्षों में दूनिया की तीसरी
सबसे बड़ी योगदान होगा। दूसरी तरफ 31 अक्टूबर, 2017 को विश्व बैंक
द्वारा जारी की गई 'कारोबार सुगमता रिपोर्ट–2018' में दी गई 190 देशों की
सूची में भारत को 100वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि वर्ष 2017 के 130वें स्थान
के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया
है कि ऐसा हालिया सुधारों के कारण हुआ है। स्पष्ट है कि हम एक मजबूत
अर्थव्यवस्था की तरफ सधे हुए कदमों से बढ़ रहे है। भूमिका निभा रहा है कि
हम एक राष्ट्रीय बाजार को विकसित कर रहे हैं। आज के सुधारों का नतीजा
हमें आने वाले समय में मिलेगा और हम उच्च विकास दर हासिल करेंगे।

"देश में जीएसटी के प्रभावी होने से अब अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में एक
स्तरी कर प्रणाली अस्तित्व में आ चुकी है, जिससे एक राष्ट्र–एक बाजार–एक
कर की अबधारणा को तो बल मिला ही है, कर वसूली में पारदर्शिता आने से
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।"

जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा एक राष्ट्र, एक बाजार
एवं एक कर से अभिप्रेत है। यह 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को इस
प्रकार स्थापित करता है कि इसके लागू होने से पूरा देश एकीकृत बाजार में
तब्दील हो जाता है। फलस्वरूप एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कर की
कड़ियां परस्पर जुड़ जाती हैं, जिसका लाभ देश की जनता को मिलता है
और उसे दोहरे कराधान से राहत मिलती है। जीएसटी को एक अप्रत्यक्ष कर
एकीकृत कर ढांचे के रूप में निरूपित किया जाता है और इसमें अधिकांश
अप्रत्यक्ष कर समाहित रहते हैं। अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे इस प्रकार परिभाषित
किया गया है– "जीएसटी एक व्यापक, बहु–स्तरीय, गंतव्य आधारित कर है
जो प्रत्येक मूल्य के जोड़ पर जगाया जाता है।" यहां 'बहुस्तरीय' से अभिप्राय

उन विभिन्न स्तरों है। जो वस्तु के निर्माण से लेकर उपभक्ता तक पहुंचने में
चरणवार देखने को मिलते हैं, जबकि गंतव्य आधारित शब्द सामूची निर्माण
श्रृंखला को व्यक्त करता है। वस्तु के निर्माण के सभी स्तरों और पूरी निर्माण
श्रृंखला के दौरान होने वाले सभी लेन–देन पर जो मूल्य संवर्धन होता है, उसी
पर जीएसटी जगाया जाता है।

भारत में भले ही 30 जून–1 जुलाई, 2017 की मध्य रात्रि से 'एक राष्ट्र,
एक बाजार, एक कर' की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए जीएसटी को
प्रभावी बनाया गया,किन्तु इसकी पृष्ठभूमि कई वर्ष पहले ही तैयार होनी शुरू
हो चुकी थी। सर्वप्रथम वर्ष 2002 में इसका सुझाव केलकर कार्यबल द्वारा दिया
गया, जो कि अप्रत्यक्ष कराधान पर गठित किया गया था। इसके बाद वर्ष
2006–7 के बजट भाषण में तत्कालीन केंद्रीय वितमंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा न
सिर्फ जीएसटी की पैरोकारी की गई, बल्कि इसे 1 अप्रैल, 2010 से लागू किए
जाने की संभावना भी जताई गई। इसके बाद एक लंबी यात्रा तय करने के
बाद भारत में जीएसटी की अवधारणा मूर्त रूप ले पाई।

"यह 'एक राष्ट, एक कर' की अवधारणा को इस प्रकार स्थापित करता
है कि इसके लागू होने से पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाता है।
फलस्वरूप एक राष्ट्र, गक बाजार और बक कर की कड़ियां परस्पर जुड़ जाती
हैं, जिसका लाभ देश की जनता को मिलता है और उसे दोहरे कराधान से
राहत मिलती है।"

जीएसटी को लागू किए जाने से एक राष्ट्र–एक बजार–एक कर की
अवधारणा साकार हुई है, क्योंकि इसके तहत केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष करों
को मिलाकर उन्हें एकल कर का स्वरूप प्रदान किया गया है, जिससे एक
समान राष्ट्रीय बाजार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यानी 'एक राष्ट्र, एक कर8 से
एक बाजार भी जुडं गया, जिसे देशवासियों के लिए लाभकारी स्थिति माना जा
रहा है, क्योंकि इससे दोहरे कराधान से बचत होगी। यहां यह जान लेना
अचित रहेगा कि जीएसटी ने जिन केन्द्रीय करों का स्थान माना जा रहा है,
क्योंकि उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त
उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सेवा कर तथा वे
उपकर और अधिभर, जो वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। इसी
कम में जीएसटी में जिन राज्य करों को सम्मिलित किया गया है, वे हैं– राज्य
वैट, बिक्री कर, खरीद कर, विलासिता कर, सभी तरह के प्रवेश कर, मनोरंजन
कर, निज्ञापनों पर कर, लॉटरियों, सट्टेबाजी व जुए पर लगने वाले कर तथा
राज्यों के वे उपकर और अधिभार, जो वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति से
संबंधित हैं। इस तरह एक एकीकृत कर ढ़ांचा तैयार किया गया है, जो कि
'एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कर' की संकल्पना को साकार कर रहा है।

जीएसटी को मूर्त रूप देने के बाद इसे सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने के प्रयास भी किए गए हैं। जहां अलग–अलग श्रेणियों के करदाताओं को अलग–अलग निर्दिष्ट तिथियों तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिटर्न भरने की व्यवस्था की गई है, वही कर अदायगी के लिए करदाताओं को अनेक विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं। यथा–इंटरनेट बैंकिग,डेबिट/क्रेडिट कार्ड तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स टांसफर/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आदि। जीएसटी के लिए पंजीकरण, भुगतान और रिटर्न संबंधी सेवाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निजी कंपनी के रूप में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) अ आईटी, आईटीईएस तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को चुना है, जिन्हें जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसटी) के रूप में अभिहित किया गया है।

केंद्र सरकार के द्वारा कैशलेस भारत एवं जीएसटी ये दो ऐसे मुद्दे है जिनके फायदे और नुकसान दोनों ही सामान्य वर्ग को झेलने पड़ते हैं। एक तरह से यह नियम सभी के लिए सुरक्षा भी प्रदान करते हैं पर छोटे व्यापारी एवं बेरोजगारी से ग्रसित युवाओं के लिए यह सुविधा पीड़ादायक भी बन रही है।

संदर्भ

1. व्यापार दर्पण– छविनाथ पाण्डेय , अखिलेश भारत वर्गीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा 160, हरिसन रोड कलकत्ता
2. स्वयं के व्यापार में कदम – डॉ. बिल क्वेन रोक्ले मिंग अमेरिकन ड्रीम के लेखक
3. एफ. डी. एम. की डायरी– मोहनलाल राय
4. व्यापारिक पद्धति और यंत्र भाग–2 अमर नारायण अग्रवाल छठवां संस्करण 1995
5. उद्योग व्यापार पत्रिका– वाणिज्य उद्योग मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
6. व्यापार तत्व व्यापार शिक्षक मेवालाल चौधरी कहलगाँव जिला भागलपुर प्रथम संस्करण 1994
7. व्यवसाय व्यवस्थापन – डॉ. प्रभाकर एस. महाले प्रशांत पब्लिकेशन्स

सहयोगी प्राध्यापक, हिंदी–विभाग
हुतात्मा जयवंतराव पाटील महाविद्यालय
हिमायतनगर, जिला– नांदेड (महाराष्ट्र)